संख्या- 9/715/पैंतीस-2-2014-3/39(41)/2013

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल, 2014**

विषय- **" जिला स्तर पर स्थापित एन0आईसी0 का रख-रखाव" योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्रथम चार माह हेतु स्वीकृत लेखा अनुदान के सापेक्ष आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास योजनाओं की समीक्षा एवं सूचनाओं के त्वरित गति से आदान-प्रदान, जिला योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा स्थापित जनपदों में कम्प्यूटर केन्द्रों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्रावधानित रू0 1,60,00,000/- (रूपया एक करोड साठ लाख मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रथम चार माह हेतु आवश्यक व्यय के लिए संलग्न विवरण के अनुसार रू0 53,32,000/- (रू0 तिरपन लाख बत्तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14.03.2014 के संदर्भ में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन प्रदन की गयी है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) अन्य किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण " आहरण एवं संवितरण अधिकारियों" द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

6- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या-सी0ए0-1004/दस-2003-सं0वि0मि0-1/2003, दिनांक 11 अगस्त, 2003 का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-जिला स्तर पर स्थापित एन0आई0सी0 का रख-रखाव" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या: (1) / पैंतीस-2-2014-तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. टेक्निकल डायरेक्टर एण्ड स्टेट इन्फारमेटिक्स आफिसर, इन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, ल्खनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1
8. नियोजन अनुभाग-1
9. संबंधित पत्रावली।

आज्ञा सें,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या: 9/715/पैतीस-2-2014-3/39(41)/2013, दिनांक अप्रैल, 2014 का संलग्नक अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्षक- "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-जिला स्तर पर स्थापित एन0आई0सी0 का रख-रखाव"

(धनराशि हजार रूपये में)

कोड सं0	मद का नाम	वर्ष 2014-15 का आय-व्ययक अनुमान	वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह हेतु स्वीकृत लेखा अनुदान
1	2	3	4
08	कार्यालय व्यय	3000	1000
09	विद्युत देय	3000	1000
03	टेलीफोन पर व्यय	3000	1000
29	अनुरक्षण	2000	666
42	अन्य व्यय	2000	666
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	3000	1000
	योग-	**16000**	**5332**

(रू0 तिरपन लाख बत्तीस हजार मात्र)

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in